उत्तरांचल शासन

कृषि एवं जलागम अनुभाग

संख्या : 95 338(5)/कृषि एवं जलागम/2004

देहादून : दिनांक 29 जनवरी 2004

# कार्यालय ज्ञाप

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल भाासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 45 / एस0ओ0एफ0आर0डी0सी0/जलागम दिनांक 17 मार्च 2001 के द्वारा राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा कियान्वित जलागम विकास परियोजनाओं में समन्वय, अनुश्रवण एवं परियोजना निर्माण के लिए अन्तरविभागीय टास्क फोर्स का गठन सचिव जलागम / मुख्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में किया गया था. सभी सम्बन्धित विभाग जलागम बिकास से सम्बन्धित परियोजनाओं को केन्द्र सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषण हेतु अनिवार्य रूप से टास्क फोर्स के माध्यम से ही भेजेंगें. गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे अपनी परियोजनाओं को वित्त पोषण हेतु भेजने से पूर्व टास्क फोर्स से सहमति प्राप्त कर लें. सचिव, जलागम विकास विभाग, उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 101/व0ग्रा0वि0 दिनांक 24 मई, 2002 द्वारा जलागम प्रबन्ध निदे ालय के प्रमुख उद्देश्य, उत्तरदायित्व एवं कार्यों का निर्धारण किया गया था. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तरांचल भाासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 252/व0 ग्रा0 वि0 दिनांक 20 अगस्त, 2002 द्वारा जलागम प्रबन्ध निदे ालय को जलागम प्रबन्ध की समस्त परियोजनाओं के समन्वयन, नियोजन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, जलागम प्रबन्धन की प्रस्तावित योजनाओं को परीक्षणोपरान्त भारत सरकार को भेजने के लिए नोडल विभाग नामित किया गया. निदेशालय में गठित टास्क फोर्स द्वारा जलागम प्रबन्ध से सम्बन्धित डी0पी0ए0पी0, आई0डब्लू0ए0पी0, एन0डब्लू0डी0पी0आर0ए0 तथा अन्य सभी जलागम परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु परीक्षण किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त भारत सरकार को भेजने की कार्यवाही जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा ही की जायेगी. इसके साथ साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति समीक्षा, अनुश्रवण एवं मूल्यॉकन का कार्य भी जलागम प्रबन्ध निदेशालय के माध्यम से किया जायेगा।

2. उपरोक्त तीन शासनादेशों के प्राविधानों के तहत संक्षित में जलागम प्रबन्ध निदेशालय कार्यो एवं कर्तब्यों का विवरण निम्न प्रकार है–

2.1 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा प्रस्तावित जलागम विकास योजना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अनुमोदित करना.

2.2 परियोजना के लिए प्रस्तावित कार्यदायी संस्था को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आंकलन कर अनुमोदित करना.

2.3 प्रत्येक जनपद में कियान्वित जलागम विकास योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, मूल्यांकन रिपोर्ट का मासिक एवं वार्षिक अनुश्रवण करना.

2.4 जलागम अवधारणा से प्राकृतिक संसाधन विकास, ग्राम्य विकास, आय सृजन विषयों पर Good practices का प्रचार एवं प्रसार जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा ग्राम्य विकास अभिकरण को अवगत कराया जायेगा.

2.5 राज्य में कियान्वित, विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित, समस्त जलागम प्रबंधन एवं विकास की योजनाओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का Database जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा रखा जायेगा तथा सभी को मांग पर उपलब्ध कराया जायेगा. आवश्यकता पडने पर जलागम विकास विभाग द्वारा Hard and soft copy न्यूनतम मूल्य प्राप्त कर उपलब्ध करायी जायेगी.

2.6 जलागम प्रबंधन की योजनाओं में कार्य कर रहे समस्त राजकीय कर्मचारियों एवं गैर सरकारी संस्थानों के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण विषयों की आवश्यकता का विश्लेषण तथा प्रशिक्षणों का समन्वयन जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा किया जायेगा. प्रशिक्षण के लिए धनराशि परियोजना मद से जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी.

अतः जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय.

3 अपर सचिव, भूमि संसाधन विभाग ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी अपने अर्द्व शासकीय पत्र सं0 K 11011/64/2000-IWDP(D-II) दिनांक 28–8–2003 द्वारा यह निदेश दिये हैं कि IWDP व DPAP परियोजनाओं

कार्यालय परियोजना निदेशक पंजीकृत संख्या 3304 फाईल संख्या 307 दिनांक 31-1-04

के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यदायी संस्थाओं के चिन्हांकन व इन योजनाओं के समन्वय आदि का कार्य प्रदेश की जलागम प्रबन्ध निदेशालय के माध्यम से ही सम्पादित किये जायं.

4 मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के वार्षिक बजट, पंचवर्षीय योजना के लिए बजट प्राविधान तथा महालेखाकार द्वारा संप्रेक्षा ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा यथावत नियंत्रित किया जायेगा.

5 राज्य में कियान्वित सभी जलागम प्रबन्धन एवं विकास की योजनाओं के कियान्वयन में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा कियान्वित सभी प्रकार के जलागम प्रबंध एवं जलागम विकास की योजनाओं के कियान्वयन में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की गुणवत्ता के विषय पर मुख्य विकास अधिकारी के कार्य के बारे में मुख्य परियोजना निदेशक द्वारा वार्षिक मन्तव्य अंकित किया जायेगा जिसे ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा अनिवार्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी की वार्षिक मूल्यांकन में समाविष्ट किया जायेगा. इसी प्रकार कृषि विभाग, में कार्यरत जलागम ईकाईयों के बारे में भी मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबंध निदेशालय द्वारा सहायक जलागम निदेशक के कार्य की गुणवत्ता के बारे में वार्षिक मन्तव्य अंकित किया जायेगा जिसे कृषि विभाग द्वारा सहायक जलागम निदेशक की वार्षिक मूल्यांकन में अनिवार्य रूप से समाविष्ट किया जायेगा.

6 कृपया उपरोक्त निदेशों का तत्परत्ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि– निम्न को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. सचिव, कृषि, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. सचिव, जलागम विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
4. अपर निदेशक, कृषि, उत्तरांचल, देहरादून।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त सहायक जलागम निदेशक, कृषि विभाग, उत्तरांचल।
8. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
मुख्य सचिव